

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  
भारत सरकार

~~वित्त मंत्रालय~~

( ~~राजस्व और बीमा विभाग~~ )

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर, 1975

शुद्धिपत्र

का०नि०सं० भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), दिनांक 19 दिसम्बर 1974 के पृष्ठ 2981 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या का आ० 728 (अ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिखा जाय :

1. दूसरे पैराग्राफ के भाग (ख) को अन्तिम पंक्ति के अन्त में उद्धरण चिन्ह के बाद '।' को हटा दिया जाय ।

✓ [सं० 1123 / का० सं० 142/19/73 - टी०पी० एल]

ए०

( ओ० पी० भारद्वाज )

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

Dyno 78/75  
TTL